



सर्वेषां विकासाय

Statutory Timeline

- **Service:** Land Allotment
 - **Mode of Service:** Online
 - **Authority:** State Infrastructure and Industrial Development Corporation of Uttarakhand Ltd.
-
- Service Timeline for Approval: 15 days (From the date of Opening of bid.)
 - Lease period: 90 Yrs.

Time Schedule:

The timelines for the service has been notified under The Uttarakhand Enterprises Single Window Facilitation and Clearance Act 2012.

Particulars	Notification Details	Number of Days
Timeline for the Service Delivery		
Application for Land / Plot Allotment	1104/VII-2-17/66-MSME/2013 dated 31.10.2017	15 days
Timeline for the Settlement of Appeal		
Any investor aggrieved by the orders of the Competent Authority may appeal to the State Empowered Committee	711(1)/ VII-2-16/66-MSME/2013 dated 31.03.2017	30 days
Any investor aggrieved by the orders of The District Empowered Committee may appeal to the State Empowered Committee	711(1)/ VII-2-16/66-MSME/2013 dated 31.03.2017	30 days
Any investor aggrieved by the orders of The State Empowered Committee may appeal to the State Government	711(1)/ VII-2-16/66-MSME/2013 dated 31.03.2017	30 days

S. No.	Particulars	Time
1.	Execution of Lease Deed	Within 60 Days from the date of Allotment
2.	Taking Possession of Land	At the time or immediately after completion of Lease deed execution.
3.	Commencement of Production	Two years from the date of Allotment or as mentioned in the lease deed condition.

910/
31/12/2017

उत्तराखण्ड शासन
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग
संख्या: 1104/VII-2-17/66-एम0एस0एम0ई0/2013
देहरादून, दिनांक: 31 अक्टूबर, 2017

अधिसूचना

शासन की अधिसूचना संख्या:-30/XXXVI(3)/2013/62(1)/2012 दिनांक 28.01.2013 द्वारा जारी "उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम-2012" की धारा-10 तथा शासन की अधिसूचना संख्या:-752/VII-2-15/66-एम0एस0एम0ई0/2013 दिनांक 18.08.2015 एवं संख्या:-2325/VII-2-15/66-एम0एस0एम0ई0/2013 दिनांक 18.12.2015 को अवक्रमित करते हुए "उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन नियमावली-2015" के नियम-6 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार विभिन्न विभागों द्वारा उद्यमियों को जारी की जाने वाली अनुज्ञा/अनापत्ति/अनुज्ञापन हेतु समय-सीमा संलग्न प्रारूपानुसार पुनः निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल महर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

संलग्नक-अनुसूची-1, भाग क, ख, ग।

भवदीया,
o/c (मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

16.	सिडकुल	1. औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन (उपलब्धता पर)	स्थापना से पूर्व	15 दिन
-----	--------	--	------------------	--------

ll

क्र.सं.	विभाग का नाम	प्रदान की जाने वाली सेवा का नाम	प्रदान की जाने वाली सेवा का स्तर	समय-सीमा
		2. बंधक अनुमति	स्थापना से पूर्व	15 दिन
		3. स्थानांतरण अनुमति	स्थापना से पूर्व	15 दिन
		4. जल संयोजन (उपलब्धता पर)	स्थापना से पूर्व	15 दिन
		5. परियोजना के समापन के लिए समय का विस्तार	स्थापना से पूर्व	15 दिन
		6. रद्द किए गए भूखंडों के आवंटन की बहाली	संचालन से पूर्व	15 दिन
		7. उत्पाद परिवर्तन अनुमति	संचालन से पूर्व	15 दिन
		8. आवंटी संगठन का पुनर्निर्माण	संचालन से पूर्व	15 दिन
		9. प्लॉट/यूनिट के सबलेटिंग/ सब-लीस की स्वीकृति	संचालन से पूर्व	15 दिन
		10. आवंटित संगठन के नाम में परिवर्तन	संचालन से पूर्व	15 दिन
		11. भूखंडों का समर्पण	संचालन से पूर्व	15 दिन